संख्या- 4/2025/1099237/63-व0उ0-2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 24 सितम्बर, 2025

विषय:- "पी0एम0 मित्र पार्क के संचालन से सम्बन्धित विविध व्यय हेतु योजना" (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित बजट रू0 600.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38/ह0क0/नियोजन/2025-26 दिनांक 15.04.2025 एवं पत्र संख्या-746/ह0क0-नियोजन अनुभाग/2025-26 दिनांक- 02.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "पी0एम0 मित्र पार्क के संचालन से सम्बन्धित विविध व्यय हेतु योजना" (राजस्व लेखा) योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट रू0 600.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1,50,00,000/-(रूपये एक करोड़ पचास लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में "पी0एम0 मित्र पार्क के संचालन से सम्बन्धित विविध व्यय हेतु योजना" (राजस्व लेखा) योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट रू0 600.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1,50,00,000/-(रूपये एक करोड़ पचास लाख) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा की जायेगी।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर अपितु यथा आवश्यकता चरणों में किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग शासनादेश संख्या-308/63-व0उ0-2023-4(एच)/2022 दिनांक 24-02-2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृत धनराशि के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(8) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 1,50,00,000/-(रूपये एक करोड़ पचास लाख) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अधीन लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-103-हथकरघा उद्योग-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)-04-पी0एम0मित्र पार्क के संचालन से संबंधित विविध व्यय के नामें डाला जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या संख्या एवं दिनांक-तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(शेषमणि पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in